कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1172 /क्षेत्रीय शाखा-1/2024 जबलपुर, दिनांक 22/10 /2024

कलेक्टर बालाघाट के पत्र क्रमांक 288/स्थापना/श०वि०/2024 दिनांक 15/10/2024 द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि श्री निशांत श्रीवास्तव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट द्वारा सी०एम० हेल्पलाईन प्रकरणों के निराकरण में कोई रूचि नहीं ली जा रही है। सी०एम० हेल्पलाईन की 313 शिकायतें लंबित है जो जनहित से संबंधित है। लगातार निर्देश देने के उपरांत भी शिकायतों के निराकरण में कोई प्रगति परिलक्षित नहीं हुई है। जिला स्तर पर किसी योजना के क्रियान्वयन हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत समय-सीमा में कार्यवाही किये जाने के दौरान प्राय: श्री श्रीवास्तव अवकाश पर चले जाते है। समय-सीमा की बैठकों में एवं जनसुनवाई में प्राय: अनुपस्थित रहते है। आवारा पशुओं को सडकों से हटाने मौसमी बीमारी के संबंध में डोर टू डोर सर्वे अभियान के अंतर्गत निर्देशों के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनांतर्गत 46 आप्रारंभ आवासों को पूर्ण कराने के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया। AHP घटक अंतर्गत पात्रहितग्राहियों द्वारा राशि जमा कर दिये जाने के बाद भी आवास पूर्ण कराकर आवंटित नहीं किये गये है। बस स्टैंड में आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं हेतु दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। शहर में डेंगू, मलेरिया के बचाव हेतु नालियों की सफाई, दवाई का छिडकाव, डोर टू डोर कचरा संग्रहण में लापरवाही बरती जा रही है। दिनांक 30/09/2024 से 08/10/2024, 09/10/2024 से 10/10/2024, 10/10/2024 से 13/10/2024 तक अवकाश पर रहे किन्तु उक्त अवधि का अवकाश स्वीकृत नहीं कराया गया। इस प्रकार श्री श्रीवास्तव का शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरत रहे है। उपरोक्त के फलस्वरूप श्री निशांत श्रीवास्तव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

श्री निशांत श्रीवास्तव के उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम-1961 नगरपालिका सेवा भर्ती नियम एवं मध्य प्रदेश सिवल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 (सामान्य) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आते है। अत: श्री निशांत श्रीवास्तव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट को पदीय दायित्वों के प्रति स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही बरतने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 86 एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम-36 तथा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, बालाघाट नियत किया जाता है। श्री निशांत श्रीवास्तव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा।

(अभय वर्मा)
कमिश्नर
जबलपुर संभाग

//2//

पृष्ठां. क्रमांक 1173 /क्षेत्रीय शाखा-1/2024 जबलपुर, दिनांक 22/10 /2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पालिका भवन, 6 नं बस स्टाप के पास, शिवाजी नगर, भोपाल-462016 की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. कलेक्टर, बालाघाट की ओर आदेश की एक अतिरिक्त प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । कृपया संलग्न आदेश की अतिरिक्त प्रति श्री निशांत श्रीवास्तव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट को तामील कराकर पावती भेजें साथ ही आरोप पत्र, आरोप विवरण, अभिलेख सूची एवं साक्ष्य सूची 10 दिवस में इस कार्यालय को भेजें ।
4. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
5. श्री निशांत श्रीवास्तव, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट की ओर पालनार्थ ।

सहपत्र :- क्रमांक-3 के लिए ।

(अभय वर्मा)
कमिश्नर
जबलपुर संभाग